न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2017/00197

ओमप्रकाश आत्मज भुवनेश्वर जाति महाजन निवासी बूंदी तहसील व जिला बूंदी(राज0)।

——अपीलान्ट

बनाम

1. लटूर लाल आत्मज हरनाथ जाति मीणा निवासी झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी राज० मृतक जये कायम मुकामान–
   1/1. रामराज आत्मज स्व० लटूर जाति मीणा निवासी झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी राज०।
   1/2. रूपनारायण आत्मज स्व० लटूर जाति मीणा निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बूंदी राज०।
2. प्रहलाद आत्मज बदरी लाल जाति नाई निवासी ग्राम झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बूंदी राज० मृतक जये कायम मुकामान
   2/1. कपील आत्मज स्व० प्रहलाद जाति नाई निवासी झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी राज०।
   2/2. अनिल आत्मज स्व० प्रहलाद जाति नाई निवासी झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी राज०।
3. पुरूषोत्तम आत्मज बदरी लाल जाति नाई निवासी ग्राम झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी राज0।
4. सोभाग सिंह आत्मज रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चौतरा का खेड़ा तहसील के0 पाटन जिला बूंदी राज0।
5. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार के०पाटन जिला बूंदी राज०।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रघुवीर सिंह राणावत, अभिभाषक, रेस्पो. कम 04–बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 31.08.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 211/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया गया कि कृषि भूमि खसरा नं0 2443 रकबा 2.10 हे0, कृषि भूमि खसरा नं0 2445 रकबा 0.25 हे0, कृषि भूमि खसरा नं0 2446 रकबा 0.21 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 2.56 हे0 वाके माल ग्राम झालीजी का बराना में स्थित है। जमाबंदी संवत् 2056 से 2057 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 01 अपीलांट के नाम खाते अंकित है। कृषि भूमि खसरा नं0 2442 रकबा 3.16 हे0, खसरा नं0 2443 रकबा 2.10 हे0, खसरा सं0 2445 रकबा 0.25 हे0 एवं खसरा सं0 2446 रकबा 0.21 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 5.72 हे0 किस्म नहरी दोयम वाके ग्राम झाली जी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड में ओम प्रकाश आ0 भूमेश्वर व नामा0 नं0 136/31–7–2000 ये ख0 नं0 2442 में से 1.48 हे0 व ख0 नं0 2446 रकबा 0.21 हे0 कुल 1.61 हे0 प्रहलाद आ0 बद्री लाल जाति नाई के नाम खाते में दर्ज है। जिनको वाद पत्र में ओम प्रकाश को प्रतिवादी सं0 01 व प्रहलाद आ0 बद्री लाल को प्रतिवादी सं0 02 व पुरूषोत्तम आ0 बद्री नाई को प्रतिवादी सं0 3 बनाया गया है। व राजस्थान राज्य भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवादित भूमि में से ख0 सं0 2443 रकबा 2.10 हे0 ओम प्रकाश आ0 भूमेश्वर कोम महाजन के खाते अंकित थी। इसमें नहर के पानी से सिंचाई नहीं होती थी उसी समय उक्त कृषि भूमि जिसको नहर के पानी से सिंचाई नहीं होती थी उसे सही करके नहर के पानी से सिंचाई करने योग्य बनाया व वादी ने खेती करना प्रारंभ कर दिया आज से करीब 14 साल पूर्व तभी से निरंतर निर्बाध होकर काबिज काश्त ओम प्रकाश व अन्य प्रतिवादीगण की जानकारी में ख0 सं0 2443 में 14 वर्ष पूर्व से निरंतर निर्बाध होकर काबिज काश्त पर बहेसियत टीनेन्सी के खुल्लम खुल्ला रूप से निरंतर निर्बाध काबिज काश्त प्रतिवादीगण की जानकारी में चला आ रहा है, एवं भूमि की लगान पिलाई अदा कर रहा है। प्रतिवादी 01 के खातेदारी अधिकार उक्त भूमि पर समाप्त हो गये है। प्रतिवादी की वाद पत्र की चरण सं0 01 में वर्णित विवादित भूमि ख0 सं0 2443 के संबंध में किसी प्रकार का कोई टीनेन्सी अधिकार नहीं रहा है। तथा प्रतिवादी के उक्त भूमि के संबंध में सभी अधिकार कानूनन समाप्त हो गये है। भूमि पर पूनः कब्जा करने का अधिकार भी प्रतिवादीगण का मियाद बाहर हो चुका है। विवादित भूमि राजस्व कागजात में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादी को टीनेन्सी के रूप में मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है तथा वादी को भूमि के स्वत्वों की हानि हो रही है। तथा प्रतिवादी का खाते में नाम दर्ज होने से उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हो रहा है। कब्जा करने की धमकी दी है। वादी ने प्रतिवादी से अनेक बार विवादित भूमि को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का तकाजा किया किन्तु प्रतिवादी टालमटोल करता रहा। अतः वादी ने भूमि ख0 सं0 2443 रकबा 2.10 हे0 में से प्रतिवादी का नाम खातेदारी से विलोपित किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम खाते में अंकित किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि वे विवादित भूमि खसरा सख्या 2443 में न तो स्वयं व्यवधान करे न अन्य किसी प्रतिनिधी ऐजेन्ट से करवाये।

3. उक्त आशय का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 27.02.2003 को वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 2443 रकबा 2.10 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट का नाम विलोपित किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि वे विवादित भूमि या उसके किसी भू–भाग पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 निरस्त किया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 04 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय व डिक्री के संबंध में जानकारी होने पर उक्त निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 11.04.2017 को अपीलांट को नकल प्राप्त हुई तब से उक्त अपील अंतर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत है। फिर भी अगर उक्त अपील में देरी को कण्डोन दिया जाकर अपील की विधिवत सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई विलंब अवधि का क्षम्य करते हुए अपील की विधिवत सुनवाई करवाये जाने के लिए निवेदन किया।

7. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को बार–बार आवाज लगाने के बावजूद भी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 उपस्थित नहीं होने से अधिवक्ता अपीलांट की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003

वस्तु स्थिती एवं विधान के सर्वथा विरुद्ध होने एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण एवं विधि के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी महोदय के0 पाटन के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लटूर ने कृषि भूमि खसरा संख्या 2443 रकबा 2.10 है०, कृषि भूमि खसरा संख्या 2445 रकबा 0.25 है0 खसरा संख्या 2446 रकबा 0.21 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.56 हैक्टर वाके माल ग्राम झालीजी का बराना में स्थित है। जमांबदी सम्वत 2056 से 2057 के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अपीलाण्ट के नाम खाते में अंकित है। कृषि भूमि खसरा संख्या 2442 रकबा 3.16 हेक्टर, संख्या संख्या 2443 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा संख्या 2445 रकबा 0.25 हैक्टर एवं संख्या संख्या 2446 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबास 5.72 हैक्टर किश्म नहरी दोयम वाके ग्राम झाली जी का बराना तहसील के०पाटन जिला बून्दी राज में विस्थित है जो राजस्व रेकार्ड में ओमप्रकाश आत्मज भुमेश्वर व नामान्तकरण संख्या 136/31.7.2000 से खसरा संख्या 2442 में से 1.48 हैक्टर व खसरा संख्या 2446 रकबा 0.21 हैक्टर कुल 1.61 हैक्टर प्रहलाद आत्मज बद्रीलाल जाति नाई के नाम दर्ज है तथा नामान्तकरण संख्या 137/31.7.2000 से खसरा संख्या 2442 में से 1.68 हैक्टर पुरषोत्तम आत्मत बद्री लाल जाति नाई के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में से भूमि खसरा संख्या 2443 रकबा 2.10 हैक्टयर अपीलाण्ट ओमप्रकाश आत्मज भुनेश्वर कौम महाजन के खाते अंकित थी जिस पर अपीलाण्ट काबिज ठोकर कारत करता व करवाता चला आ रहा या कालान्तर में अपीलाण्ट अपने व्यवसाय हेतु दून्दी शहर में निवास करने लग गया तो अपनी उक्त भूमि को अपोली में व ज्यारा काश्त पर रेस्पो0 संख्या 01 को काश्त हेतु जुपवाता एवं काश्त करता चला आ रहा था इसी कारण रेस्पो0 संख्या 01 के मन में बदयान्ति आ गई एवं उसने अपीलाण्ट की भूमि को गैर कानूनी तरिके से हड़पने के लिए उपखण्ड अधिकारी के०पाटन के यहां धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक वाद दायर किया जिसमें न्यायालय के द्वारा वाद दर्ज करके प्रतिवादीगण अपीलांट को नोटिस जारी किये गये एवं दिनांक 08.01.2002 को वाद पत्र की आदेशिका पर अपीलाण्ट ओमप्रकाश के हस्ताक्षर अंकित कर रखे है, जो वास्तव में अपीलाण्ट के द्वारा नहीं किये गये न ही अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद में उक्त दिनांक को उपस्थित हुआ बल्कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलाण्ट की भूमि हड़पने के लिए उसकी उपस्थिती गलत रूप से दर्ज करवा दी उसके बाद अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 21.03.2002 को एक अभिभाषक बदरी लाल जी का वकालतनामा भी अधीनस्थ न्यायालय के उक्त वाद में अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत करवा दिया जबकि वास्तवक में अपीलाण्ट ने अपनी ओर से उक्त वाद में पैरवी करने हेतु श्री बदरीलाल जी एडवोकेट को नियुक्त नही किया था और न ही ऐसा कोई वकालतनामा अपने हस्ताक्षर करके उक्त वाद की पैरवी करने हेतु दिया, बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लटूर ने जवारा के कागजात के समय किसी वकालतनामा व कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर न्यायालय में पेश कर दिया जो अपीलाण्ट की जानकारी में नहीं है और न ही अपीलाण्ट की सहमति एवं स्वीकृति रही है। बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त सारा कार्य अपीलाण्ट की भूमि हड़पने के लिए अपीलाण्ट की जानकारी के बिना किया है उसके बाद दिनांक 27.3.2002 को अपीलाण्ट के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करना अंकित किया गया है जबकि कोई भी व्यक्ति अपनी खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में जानबूझकर क्यों उपस्थित नही होगा एवं अपनी भूमि को अन्य व्यक्ति के खाते क्यों बंधने देगा। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण

वाद की कार्यवाही मिलिभगत पूर्ण एवं दुषित होने के कारण अपीलाण्ट के विरुद्ध उसकी जानकारी बिना उसकी ओर से उपस्थिती दर्ज करवाकर एक तरफा कार्यवाही करवाई गई एंव उसके बाद अपीलाण्ट की जानकारी व अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका दिये बिना उक्त निर्णय दिनांक 27.02.2003 पारित करवा लिया जो कानूनन विधि के विपरित एवं सुनवाई के अधिकार के विपरित होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि पर बिना कानूनी अधिकार के एवं बिना विधि व कानून के पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 के आधार पर भूमि खसरा संख्या 2443 रकबा 2.10 है0 वाके ग्राम झालीजी का बराना पर वादी लटूर को खातेदार घोषित किया जाकर अपीलाण्ट ओमप्रकाश का नाम विलोपित किये जाने का जो आदेश पारित किया है वह कानून के विपरित व विधि से परे जाकर एवं व्यायिक निर्णयों के विपरित जाकर पारित किया है जो खारीज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक ऐसा वाद विचाराधीन था जिसमें अधीनस्थ व्यायालय को प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को सुनना व दोनो पक्षो की साक्ष्य पत्रावली पर आना कानूनन जरूरी था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट प्रतिवादी ओमप्रकाश के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करके उसे सुनवाई का अवसर नही देकर उसे बिना सुने उसके खातेदारी अधिकारो का अन्त व खत्म करने का जो निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 पारित किया है यह निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में मिलिभगत की गई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या लटूर के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाण्ट की भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या को खातेदारी दे दी जाये बल्कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत रसीदे रेस्पोडेन्ट 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं करती थी बल्कि उक्त रसीदे अपीलाण्ट की ओर से जारी करवाई जाती थी भूमि पर आधोली व ज्वारा से काश्त करवाने के कारण रेस्पोडेन्ट को अपीलाण्ट की भूमि पर कब्जा मुखालफाना का भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था उक्त सभी तथ्यों पर साक्ष्य आये बिना अपीलाण्ट का जवाब पत्रावली पर पेश नहीं हुआ। इन सभी तथ्यों पर गौर नही करके अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व डिकी दिनांक 27.02.2003 पारित की वह न्यायालय के सर्वमान्य सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण एवं पूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट भूमि का खातेदार दर्ज था लेकिन अपीलान्ट की जानकारी के दिना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लटूर ने अपीलाण्ट की भूमि को हड़पने को नियत से बदयान्ति पूर्वक उक्त वाद को प्रस्तुत करके अपीलाण्ट की जानकारी, सहमति व स्वीकृति के बिना मिलिभगत करके त्रुटिपूर्ण तरिके से न्यायालय को गुमराह करके निर्णय व डिकी दिनांक 27.02.2003 पारित करवाई है, जो कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 27.02.2003 खारिज फरमाने के लिए निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलांट के विद्वान् अभिभाषक की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद अधीनस्थ न्यायालय में

दिनांक 22.12.2001 को संस्थित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.03.2002 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालत नामा पेश किया गया। इस प्रकार अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 21.03.2002 को जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो चुका था। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि "अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 को पारित करने के बाद जब अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री के सम्बन्ध मे जानकारी होने पर उक्त निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन पेश किया उस पर दिनांक 11.04.17 को अपीलांट को नकल प्राप्त हुई तब से उक्त अपील अन्तर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत है।" जबकि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.03.2002 को ही उपस्थित हो चुका था जिससे अधीनस्थ न्यायालय में हुई सम्पूर्ण कार्यवाही का अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को प्रारम्भ से ही संज्ञान में होना प्रतीत होता है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र में जो कथन अंकित किये है, वो विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उसकी ओर से प्रस्तुत अभिभाषक–पत्र दिनांक 21.03.2002 भी संलग्न है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में लगभग 14 वर्ष 1 माह 18 दिन पश्चात् अपील प्रस्तुत की है। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 60 दिवस है। अपील में हुए गंभीर रूप से लम्बे विलम्ब का कोई पर्याप्त व संतोषजनक कारण अपीलांट ने प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को प्रारम्भ से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद की जानकारी होना स्पष्ट है। अतः धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र में अपीलांट के कथन विश्वसनीय नहीं है। अपीलांट लगभग 14 वर्ष के विलम्ब का कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण साबित करने में असफल रहे हैं। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट अस्वीकार किया जाता है तथा अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किय जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 211/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2003 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 31.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2017/00197

ओमप्रकाश आत्मज श्री भुवनेश्वर जाति महाजन निवासी बूंदी तहसील व जिला बूंदी
——अपीलान्ट

बनाम

1. लटूर लाल आत्मज श्री हरनाथ जाति मीणा निवासी झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी राज० मृतक जये कायम मुकामान

   1/1. रामराज आत्मज स्व० लटूर जाति मीणा निवासी झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी राज०
   1/2. रूपनारायण आत्मज स्व० लटूर जाति मीणा निवासी झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बूंदी राज०
2. प्रहलाद आत्मज श्री बदरी लाल जाति नाई निवासी ग्राम झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बूंदी राज० मृतक जये कायम मुकामान

   2/1. कपील आत्मज स्व० प्रहलाद जाति नाई निवासी झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी राज०
   2/2. अनिल आत्मज स्व० प्रहलाद जाति नाई निवासी झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी राज०
3. पुरूषोत्तम आत्मज श्री बदरी लाल जाति नाई निवासी ग्राम झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी
4. सोभाग सिंह आत्मज श्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चौतरा का खेड़ा तहसील के0 पाटन जिला बूंदी राज0
5. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार के०पाटन जिला बूंदी राज०

——रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 211/दावा/2001

लटूर लाल आत्मज श्री हरनाथ जाति मीणा निवासी झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी राज०।

– वादी

बनाम

1. ओम प्रकाश आत्मज भूमेश्वर जाति महाजन निवासी झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी राज० मृतक जये कायम मुकामान
2. प्रहलाद आत्मज बद्री लाल जाति नाई निवासी ग्राम झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बूंदी राज० मृतक जये कायम मुकामान
3. पुरूषोत्तम आत्मज श्री बद्री लाल जाति नाई निवासी ग्राम झालीजी का बराना तहसील के०पाटन जिला बूंदी
4. शोभाग सिंह आत्मज श्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चोतरा का खेड़ा तहसील के0 पाटन जिला बूंदी राज0
5. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार के०पाटन जिला बूंदी राज०

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 211/दावा/2001 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2023 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 31.08.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री लीलाधर सिंह के उपस्थित होने तथा रेस्पोडेन्ट 04 की ओर से श्री रघूवीर सिंह राणावत बावजुद सूचना अनुपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 211/दावा/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.02.2023 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 31.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा